

Dated - 05/11/2008 (Dainik Jagran)

को जहाँ दो सीटें पकड़ी हैं, वहीं उसके 18 मत बचेंगे। उसे 37 वोट पूरे करने के लिए कांग्रेस से मदद की दरखवाह है। 21 वोटों वाली कांग्रेस खुद प्रत्याशी उतारती या सपा की मदद करती है, तय करना ही है।

को पूरा हो रहा है। उनके नाम पर भी चर्चा नहीं हुई। नेतृत्व यह टिकट किसी ऐसे केंद्रीय नेता को देना चाहता है, जिसने लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच बेहतर संदेश जाए।

उन्हें राज्यसभा चुनाव पक्ष में कैसे वोट देना है? फिर तय किये गए प्रत्याशियों के नामांकनों के तीन-तीन सेटों पर विधायकों से हस्ताक्षर कराये जायेंगे।



कानपुर नगर निगम

सामान्य कर निर्धारण-2008
सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची पर आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु

आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम पश्चात आवासीय भवनों हेतु उ. प्र. सम्पत्ति कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्रावधान द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक वर्ष में एक विवरणी कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ न्यूनतम दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सरल कर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार न्यूनतम समय के भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्रावधान है।

सामान्य कर निर्धारण वर्ष- 2008 की कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई, 2008 से 31 जुलाई, 2008 तक कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/ भूखण्डों के स्वामियों/ अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (सरल कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/ भूखण्डों के स्वामियों/ अध्यासियों के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/ अध्यासियों की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखित रूप से सम्बन्धित जॉन के सहायक स्वामियों/ अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुये वाई संख्या 73 के लिये प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के लिये सभी सम्बन्धित क निर्दिष्ट हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जॉन | वाई संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने एवं आपत्तियां प्राप्त करने का स्थान |
|-----|-----------------|--|
| 5. | 73 बर्दा पश्चिम | कानपुर नगर निगम मौतौड़ील स्थित जॉन नं. 5 कार्यालय |

यदि किसी भवन स्वामी/अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणपरांत भवन स्वामी/अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आच्छादित क्षेत्रफल/ कारपेट एरिया, भवन की अवस्थिति, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जॉन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किराये के मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपर नगर आयुक्त

आर-16/1696

| | |
|--|---|
| सामान्य कर/गृहकर का बकाया जमा कर 12% ब्याज से बचे | नगर आयुक्त |
| सामान्य कर (गृहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वाई के विकास हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करें। | 2008-09 का कर जमा करके 10% छूट प्राप्त करें |

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज
पत्रांक 1846/पं-7/आ.पं.अ-सीधी भर्ती/08-09
दिनांक 31.10.08

विज्ञापित

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 20/191/का-2/2008 दिनांक 20 अक्टूबर 2008 तथा निदेशक पंचायतीराज संख्या 2/159/07 लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर 2008 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के अधीन

उत्तराखण्ड

में कहीं-कहीं दे सकते हैं। साफ रहेगा। खिली के लिए शुष्क बना नाम में गिरावट

तापमान

शहर 36/20 तापमान

पश्चिम 33/18/9 तापमान

कानपुर 25/16/सा तापमान

नया 32/14/सा तापमान

गुवाहाटी 28/20/सा तापमान

मुंबई 29/17/सा तापमान

शिमला 21/11/सा तापमान

पुणे 33/4/सा तापमान

नवउ

परस

अधि. न्यून. 33 से 15 से

शुष्क कहरा रहेगी।

राज्य आकाश में जल दोषधर जर्म होगी।

इज निर्दिष्टों की अभिरक्षा नहीं होगी। जमा रशमी दशान का नाम

सोना न मच जातगा
की मां एम्सटर्डम में है तो सना की परलमा म। मच क बोद। थस्नि ग
में कहा कि जब वे यहां आयी थी तो उम्मीद भी नहीं की थी कि वे फाइनल में पहुंचेंगी
और खिताब इतने नजदीक होगा। 08/11/2008 Dunk Jeyr

नित
के लिए
यूपी टीम
प्रियंका
त्रा सिंह
जीनत
खान,
पूर्णमा

कानपुर नगर निगम

सामान्य कर निर्धारण-2008
सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची पर आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु

आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कानपुर द्वारा पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में कराया गया था। नगर निगम अधिनियम में वर्ष 2000 में हुए संशोधन के पश्चात आवासीय भवनों हेतु उ. प्र. सम्पत्ति कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी, भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणी कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सरलकर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय के भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है।

सामान्य कर निर्धारण वर्ष-2008 की कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई, 2008 से 31 जुलाई, 2008 तक कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/भूखण्डों के स्वामियों/अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (सरल कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/भवनों के भाग के सम्बन्ध में कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। 31 जुलाई 2008 तक भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुये वाई संख्या 86 के लिये प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के लिये सभी सम्बन्धित के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जोन | वाई संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने एवं आपत्तियां प्राप्त करने का स्थान |
|-----|-----------------|--|
| 2 | 86 जाजमऊ उत्तरी | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 2 कार्यालय |

यदि किसी भवन स्वामी/अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणोपरांत भवनस्वामी/अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आकाशित क्षेत्रफल/ कारपेट एरिया, भवन की अवस्थित, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जोन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किराये के मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त

उप नगर आयुक्त

सामान्य कर (गृहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वाई के विकास हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करें।

मोहन
प्रस
कानपुर से
शिशु।
n.com
ही होंगे।
03/07
08

5
1
2

राष्ट्रीय तम्बाकू

रमिलाप मिश्र

कानपुर नगर निगम

दिनांक 11.08.08

1- निम्न कतरन अधिलेख/अवलोकावली बावके पाव भेजे जा रहे है। नय इतका काम एवं हो जाये तो इजा करके जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग में लोडाने का कष्ट करे।

2- यदि कतरन के सम्बन्ध में कोई बिदेस लेख, स्पष्टीकरण वा कालोपना हो तो सम्बन्धित उरख के बाव जन सम्पर्क एवं सूचना अधिकारी के पाव बलिष्ठ भेजे ताकि उरखे सम्बन्ध में उचित बावेंकडो का बा बके।

समाचार पत्र पत्रिका



कानपुर नगर निगम

सामान्य कर निर्धारण-2008

सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची पर आपत्ति आगमित किये जाने हेतु

आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कानपुर द्वारा पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में कराया गया था। नगर निगम अधिनियम में वर्ष 2000 में हुए संशोधन के पश्चात आवासीय भवनों हेतु उ.प्र. सन्वति कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) में सगति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी, भवन स्थानी या अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथास्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणी कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्थानी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सरतकर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय के भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं व देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है।

सामान्य कर निर्धारण वर्ष-2008 की कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों (सरत कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/अवनों के भाग के सम्बन्ध में कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। 31 जुलाई 2008 तक भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुये विन्म 36 वाई के लिये प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के लिये सभी सम्बन्धित के विरुद्ध हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जोन | वार्ड संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण |
|-----|---|---|
| 1. | 21 रासपुरवा, 40 अनवरगंज, 59 शिविल लाईंस, 100 पटकापुर, 105 दामासोरी, 109 कलकटगंज | करने एवं आपत्तियां प्राप्त करने का स्थान कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 1 कार्यालय |
| 2. | 19 सतिगवां, 37 हरजेन्द्र नगर, 44 ओमपुरवा, 48 पधुपतिवजार, 66 जलजक दक्षिण, 70 तिवारीपुर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 2 कार्यालय |
| 3. | 12 ट्रांसपोर्ट नगर, 23 राबजी नगड़ी, 58 बरनातविहार, 83 बीबसा परिवम. | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 3 कार्यालय |
| 4. | 88 करई, 90 कियई नगर, 01 पुराना कानपुर, 06 मकरावटगंज, 11 जयाहर नगर, 43 अशोक नगर, 49 निराल नगर, 76 सूटगंज | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 4 कार्यालय |
| 5. | 38 फजलगंज, 47 भन्नापुरवा, 52 दबीली, 56 रतनलाल नगर, 93 जोसिन्द नगर दक्षिणी, 98 जीधिव्व नगर उत्तरी | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 5 कार्यालय |
| 6. | 14 अम्बेदकर नगर, 26 विजय नगर, 32 बाबकारी, 57 नवीन नगर ककादेव 61 लाजपतनगर, 63 जीतानगर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 6 कार्यालय |

यदि किसी भवन स्थानी/अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणपराबत भवनस्थानी/अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आकृति क्षेत्रफल/कारपेट एरिया, भवन की अवस्थित, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जोन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किराये के मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(उदय नारायण तिवारी)
अपर नगर आयुक्त
सामान्य कर/गृहकर का वकाय्य जमा कर 12% ब्याज से बचे
2008-09 का कर जमा करके 10% छूट प्राप्त करें
नगर आयुक्त

सामान्य कर (गृहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वार्ड के विकास हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करें।

AMC II
नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

11.08.08
जनसम्पर्क एवं सूचना अधिकारी

सहायक/नगर आयुक्त

कानपुर नगर निगम

दिनांक

25-8-09

- 2- निम्न कतरन अधिसूचना/समाचार/सूचना के माध्यम से जांचें जा रहे हैं। इस सूचना के माध्यम से जांचें जा रहे हैं। इस सूचना के माध्यम से जांचें जा रहे हैं।
- कम्पक एवं सूचना विभाग में लोडिंग का कष्ट करें।
- 3- यदि कतरन के सम्बन्ध में कोई विशेष लेख, सूचना/सूचना या अन्य सूचना का प्रकाशन करने के लिए जांचें जा रहे हैं। इस सूचना के माध्यम से जांचें जा रहे हैं। इस सूचना के माध्यम से जांचें जा रहे हैं।
- एवं सूचना अधिकारी के पास अधिकतम मात्रा में उचित सूचनाओं की जांचें जा रहे हैं।

समाचार पत्र

(Handwritten Signature)



कानपुर नगर निगम

सामान्य कर निर्धारण-2008

सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची पर आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/ भूखण्ड के स्वामियों/ अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, कानपुर द्वारा पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में कराया गया था। नगर निगम अधिनियम में वर्ष 2000 में हुए संशोधन के पश्चात आवासीय भवनों हेतु उ.प्र. समिति कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) में समिति कर के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी, भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कार्पेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणों, कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनों तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सरलकर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय के भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने को स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है। सामान्य कर निर्धारण वर्ष-2008 की कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई 2008 से 31 जुलाई 2008 तक निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/ भूखण्डों के स्वामियों/ अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (सरल कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/ भवनों के भाग के सम्बन्ध में, कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा- 222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। 31 जुलाई 2008 तक भवन स्वामियों/ अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुये निम्न 24 वार्डों के लिये प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के लिये सभी सम्बन्धित के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जोन | वार्ड संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने एवं आपत्तियां प्राप्त करने का स्थान |
|-----|---|--|
| 1 | 02 लक्ष्मी पुरवा, 50 सीसामऊ दक्षिणी, 97 हरबंस मोहाल, 99 चमनगंज, 103 परेड, 106 चौक सराफा | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 1 कार्यालय |
| 2 | 28 कृष्णानगर, 71 गांधीग्राम, 77 श्याम नगर, 95 चंदारी | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 2 कार्यालय |
| 3 | 24 उस्मानपुर, 25 जुही हमीरपुर रोड, 36 बिनगवां, 55 किदवाई नगर दक्षिणी, 81 जरीली | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 3 कार्यालय |
| 4 | 05 चन्नीगंज, 22 बेनाझाबर, 41 सीसामऊ उत्तरी, 51 नेहरू नगर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 4 कार्यालय |
| 5 | 03 गोविन्द नगर हरिजन बस्ती, 07 निराला नगर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 5 कार्यालय |
| 6 | 09 विष्णुपुरी, 27 सरोजिनी नगर, 34 सर्वोदय नगर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 6 कार्यालय |

यदि किसी भवन स्वामी/ अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणोपरान्त भवन स्वामी/ अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आच्छादित क्षेत्रफल/ कार्पेट एरिया, भवन की अवस्थिति, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जोन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किराये के मासिक दरों के निर्धारण सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(उदय नारायण तिवारी)
अपर नगर आयुक्त

(पी.के. पाण्डेय)
नगर आयुक्त

| | |
|--|--|
| सामान्य कर / गृहकर का बकाया जमा कर 12% ब्याज से बचें | 2008-09 का कर जमा करके 10% छूट प्राप्त करें। |
| सामान्य कर (गृहकर जमा करके कानपुर महानगर व अपने वार्ड के विकास हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करें।) | |

महापौर/नगर आयुक्त

जनसम्पर्क एवं सूचना अधिकारी

...उन्होंने बताया कि...
...गोकुल प्रसाद धर्मशाला...
...बैठक होगी।
...राष्ट्रीय संगठन के लोग हिस्सा...
...सिंह ने बताया कि गंगा को...
...से मुक्त करने के लिए गंगा रक्षा...
...का गठन किया गया है। उन्होंने...
...कि देश में प्रत्येक जिले रेली...
...का निर्माण...
...महापर्व गंगा महोत्सव...
...में 2010 में होगा। ऐसे उनकी...
...से खिलवाड़ करना सरकार को...
...पड़ेगा। इससे पहले गंगा तट में...
...इस अभियान को सफल बनाने के...
...रणनीति बनायी गयी। इस मौके पर...
...नारायण राजपूत, सुशील कर्नोजिया,
...प कुमार, डा. बी.के. गुप्ता, पूनम सिंह,
...बिहारी मिश्रा, नित्यानन्द आदि थे।

बड़ नेता मैदान में जख्मों को कुरेदा

...होगी या फिर किसी नेता की जेब में।
...ओं को ही तय करना होगा। पूर्व मेयर...
...कहा कि पार्टी के लिए खून पसीना...
...नियतकर्ताओं को हाथिये पर डाल दिया...
...कतई बदोशत नहीं किया जायगा।
...ने कहा कि जो नेता समानान्तर...
...रहा हो और पद पर भीर बना हुआ...
...को वेनकाब करने की जरूरत है।
...बिबलाफ मोर्चा खोलने नेताओं की इस...
...आनिल शर्मा और आलोक मिश्रा भी...
...गये। और वह इस प्रयास में लग गये हैं...
...के पूर्व श्रीप्रकाश को चोतरफा धेर लिया...
...दोबारा चुनाव बेतरणी न पार कर सकें।
...डा. नरेश मिश्रा, हरप्रकाश अग्निहोत्री,
...ला, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, आजाद सेठ, अम्बुज...
...कर हाशमी, अनुपम शुक्ला, गोविन्दरायन...
...जाबाबू, डी.एस.मालवीय आदि मौजूद थे।

भी महत्वपूर्ण

...श जायसवाल ने किया
...बताया कि ब्लीचिंग यूनिट से...
...पीले दांतों को सफेदी प्रदान...
...की जायेगी। फिक्स डेजर...
...बत्तीसी की भी सुविधा...
...इपलब्ध करायी जायेगी।
...डा. अंकित मेहरोत्रा ने बताया...
...कि सात अलग-अलग...
...एम.डी.एस. डाक्टर रोगियों की...
...जान-पड़ताल करेंगे। डेंटल...
...इम्प्लांट की भी सुविधा इस...
...क्लीनिक में रोगियों को...
...मिलेगी। टेढ़े-मेढ़े दांतों को तार...
...के माध्यम से कसकर सीधा...
...किया जायेगा। केन्द्रीय गृह...
...रौज्यमंत्री श्री जायसवाल ने साढ़े...
...बारह बजे फीता काटकर एवं...
...हरोत्रा। नारियल फोड़कर क्लीनिक का...
...उद्घाटन किया। इस मौके पर...
...गोत्रा, अर्चना मेहरोत्रा, डा. राकेश चन्द्रा,
...न. द्विवेदी, डा. सी.एम. सिंघल, डा.
...हनी आदि थे।

जल जनित एवं मच्छरों से जनित रोगों से बचाव जनपद कानपुर देहात की जनता से अपील

- शौचालय का प्रयोग करें और खुली जगह पर शौच न जाएं।
- प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराएं।
- शौच के बाद हाथ साबुन या राख से अच्छी तरह धोएं तथा शरीर की सफाई रोज करें।
- घर के आस-पास पानी इकट्ठा न होने दें। पानी की टंकी, कूलर, के पानी को प्रति सप्ताह बदल दें। डिब्बे, टायर, खाली बर्तन बरसात का पानी इकट्ठा न होने दें। छत-छप्पर पर कूड़ा करकट, लकड़ी इत्यादि न रखें।
- इकट्ठे हुए पानी में यदि निकलना संभव न हो तो कुछ बूंदे मिट्टी का तेल अथवा जला हुआ डीजल डाल दें।
- ग्रामों में नीम की पत्ती जलाये, कपड़े सुलागयें तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।
- सोते समय नीम का तेल, सरसों के तेल को शरीर पर मालिश कर लें। मच्छर, रिपलेन्ट, मार्टिन क्वायल आल आउट, गुड नाइट, केस्पर इत्यादि का प्रयोग करें।
- यथासमय पीने हेतु नल/हेण्डपम्प का पानी अथवा क्लोरीनटेड पानी का प्रयोग करें।
- खाने-पीने की सामग्री को जालीदार ढक्कन से ढककर रखें।
- ताजा भोजन करें, पाने हेतु उबले पानी का प्रयोग करें।
- 20 लीटर पानी में एक गोली क्लोरीन (पिसी हुई) डालकर जल को विसंक्रमित कर पियें।
- कटे, सड़े-गले फल व सब्जी का प्रयोग न करें, फल एवं सब्जी अच्छे तरीके से धुलकर ही प्रयोग करें।
- शरीर पर पूरे कपड़े पहने एवं शरीर को ढककर रखें।

(विपिन कुमार) (राजेन्द्र कुमार) (रमाशंकर साहू)
जिला पंचायत राज अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात

कानपुर नगर निगम सामान्य कर निर्धारण-2008 सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची पर आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सोयान्तर्गत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, कानपुर द्वारा पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में कराया गया था। नगर निगम अधिनियम में वर्ष 2000 में हुए संशोधन के परचात आवासीय भवनों हेतु 30% सम्पत्ति कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मूल्यांकन, मूली, भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणी, कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।
नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सलत्कर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय में भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है।
सामान्य कर निर्धारण वर्ष-2008 को कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमा अन्तर्गत स्थित समस्त भवन व भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई 2008 तक का निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/भूखण्डों के स्वामियों/अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (भरल कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/भवनों के भाग के सम्बन्ध में, कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि निर्धारित की गयी थी। 31 जुलाई 2008 तक भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुये निम्न 12 बाडों के लिए प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के लिये सभी सम्बन्धित के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जोन | वार्ड संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने एवं आपत्तियों प्राप्त करने का स्थान |
|-----|--|--|
| 1 | 101 महेश्वरी मोहाल | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं० 1 कार्यालय |
| 2 | 67 अशोढ़ नगर पूर्व | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं० 2 कार्यालय |
| 3 | 13 खलासी लाईन, 15 परमट, 65 गांधी नगर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं० 4 कार्यालय |
| 4 | 64 स्वराज नगर पनकी | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं० 5 कार्यालय |
| 5 | 08 मसवानपुर, 16 खोीर, 18 कल्याणपुर, 20 चधामऊ, 82 हरिहरनाथ शास्त्री नगर, 87 काकादेव | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं० 6 कार्यालय |

यदि किसी भवन, स्वामी/अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणोपरान्त भवनस्वामी/अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आच्छादित क्षेत्रफल/कारपेट एरिया, भवन की अवस्थिति, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष, आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जोन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किये गये मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उदय नारायण तिवारी पी० के० पाण्डेय
अपर नगर आयुक्त नगर आयुक्त

| | |
|--|--|
| सामान्य कर/ग्रहकर का बकाया जमा कर 12% ब्याज से बचे | 2008-09 का कर जमा कले 100% छूट प्राप्त करें। |
| सामान्य कर (ग्रहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वार्ड के विकास हेतु दायित्व का निर्वहन करें। | |

अपर सत्र न्यायाधीश रामशेर चन्द ने गत 26
ह को धारा 15/16 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप
द्वारा। इसके बाद 28 अगस्त को उसे 10 वर्ष
लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

की व्यवस्था करने से सम्बंधित निर्देश
गये थे। खुफिया विभाग से भी इस सम्बंध में
एसपी को अलर्ट किया और सुरक्षा के पुख्ता
प्रबंध करने की सलाह दी थी। डीआईजी रंज

जांच रिपोर्ट के आधार पर
अभिमन्यु त्रिपाठी और वीके गंग का
निलम्बित करने का निर्देश दे दिया।

106

इलाहाबाद

इला. चार्ज/69-
अंतर्गत आबकारी
अर्हता / परीक्षण
री आयुक्त उत्तर
आ.सि./2008-
आवेदित महिला
08 के स्थान पर
महिला अभ्यर्थी
याम) इलाहाबाद
री आयुक्त
इलाहाबाद

कानपुर

कानपुर विकास
संस्थानों एवं
गर्भित हेतु दिनांक
की जाती है। जो
प्रतिनिधि द्वारा
परान्त 2.00 बजे
कर प्राप्त किया जा
अन्तर्गत प्राप्त: 10
निम्न प्रकार है।
प्राप्ति व खुलने
थि तथा समय
25.09.08
3.00 बजे तक
25.09.08
ह 3.30 बजे

क की आर./कैश
हो, संलग्न करना
होगी। निविदादाता

ग राव)
निदेशक
गी उद्यान
पुर

Banda

ted:
P.W.D. on behalf
the eligible and
ay be the bidder
te the minimum
rs to qualify the

प्रति

कानपुर नगर निगम

सामान्य कर निर्धारण-2008
सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची
पर आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु

आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, कानपुर द्वारा पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में कराया गया था। नगर निगम अधिनियम में वर्ष 2000 में हुए संशोधन के पश्चात आवासीय भवनों हेतु उ. प्र. सम्पत्ति कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी, भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथास्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणी कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सरलकर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय के भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है।

सामान्य कर निर्धारण वर्ष- 2008 की कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई, 2008 से 31 जुलाई 2008 तक कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/भूखण्डों के स्वामियों/ अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (सरल कर प्रपत्र) में तथा अनावसीय भवनों/भवनों के भाग के सम्बन्ध में कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। 31 जुलाई 2008 तक भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुये निम्न 27 वार्डों के लिये प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के लिये सभी सम्बन्धित के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जोन | वार्ड संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने एवं आपत्तियां प्राप्त करने का स्थान |
|-----|--|--|
| 1. | 84 दलेल पुरवा, 85 कोपरगंज, 92 चटाई मोहाल, 102 जनरल गंज, 104 नाजौरबाग | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 1 कार्यालय |
| 2. | 10 चकरी, 29 सफीपुर, 30 नौबस्ता पश्चिम, 39 हंसपुरम, 91 यशोदा नगर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 2 कार्यालय |
| 3. | 31 बाकरगंज, 54 बाबुपुरवा कालोनी, 75 मुन्शीपुरवा, 79 जुही कलां, 80 बर्रा पूर्व, 96 बाबुपुरवा, 108 बेगमपुरवा | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 3 कार्यालय |
| 4. | 04 ज्वालदोली, 78 प्रेमनगर, 94 बेकनगंज, 110 कर्मलगंज | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 4 कार्यालय |
| 5. | 33 गंगागंज पनकी, 35 जुही परम पुरवा, 69 जुजैनी कालोनी, 72 नसीमाबाद, 89 कौशलपुरी | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 5 कार्यालय |
| 6. | 45 नवाबगंज | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 6 कार्यालय |

यदि किसी भवन स्वामी/अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणोपरान्त भवनस्वामी/अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आच्छादित क्षेत्रफल/कारपेट एरिया, भवन की अवस्थिति, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जोन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किराये के मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपर नगर आयुक्त नगर आयुक्त

सामान्य कर/गृहकर का बकाया जमा कर 12% ब्याज से बढ़ें 2008-09 का कर जमा करके 10% छूट प्राप्त करें

सामान्य कर (गृहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वार्ड के विकास हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करें।

कार्यालय- जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद- चित्रकूट
दिनांक: 09.09.2008

पत्रांक सी- 975/जि.का.अधि./आं.बा.का./सहा.चयन/2008-09/

विज्ञप्ति

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं के पदों पर चयन हेतु पात्र महिलाओं से दिनांक: 10.09.2008 से 20.09.08 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, रिक्तियों की सूची व पात्रता की शर्तें अधोलिखित हैं-

रिक्त पदों का विवरण (सभी गांव/ वार्ड में एक-एक पद रिक्त है)

चयनिका

...उन्होंने बताया कि...
...गोकुल प्रसाद धर्मशाला...
...बैठक होगी।
...राष्ट्रीय संगठन के लोग हिस्सा...
...सिंह ने बताया कि गंगा को...
...से मुक्त करने के लिए गंगा रक्षा...
...का गठन किया गया है। उन्होंने...
...कि देश में प्रत्येक जिले रेली...
...का निर्माण...
...महापर्व गंगा महोत्सव...
...में 2010 में होगा। ऐसे उनकी...
...से खिलवाड़ करना सरकार को...
...पड़ेगा। इससे पहले गंगा तट में...
...इस अभियान को सफल बनाने के...
...रणनीति बनायी गयी। इस मौके पर...
...नारायण राजपूत, सुशील कर्नोजिया,
...प कुमार, डा. बी.के. गुप्ता, पूनम सिंह,
...बिहारी मिश्रा, नित्यानन्द आदि थे।

बड़ नेता मैदान में जख्मों को कुरेदा

...होगी या फिर किसी नेता की जेब में।
...ओं को ही तय करना होगा। पूर्व मेयर...
...कहा कि पार्टी के लिए खून पसीना...
...नियतकर्ताओं को हाथिये पर डाल दिया...
...कतई बदोशत नहीं किया जायगा।
...ने कहा कि जो नेता समानान्तर...
...रहा हो और पद पर भीर बना हुआ...
...को वेनकाब करने की जरूरत है।
...बिबलाफ मोर्चा खोले नेताओं की इस...
...आनिल शर्मा और आलोक मिश्रा भी...
...गये। और वह इस प्रयास में लग गये हैं...
...के पूर्व श्रीप्रकाश को चोतरफा धेर लिया...
...दोबारा चुनाव बेतरणी न पार कर सकें।
...डा. नरेश मिश्रा, हरप्रकाश अग्निहोत्री,
...ला, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, आजाद सेठ, अम्बुज...
...कर हाशमी, अनुपम शुक्ला, गोविन्दरायन...
...जाबाबू, डी.एस.मालवीय आदि मौजूद थे।

भी महत्वपूर्ण

...श जायसवाल ने किया
...बताया कि ब्लीचिंग यूनिट से...
...पीले दांतों को सफेदी प्रदान...
...की जायेगी। फिक्स डेजर...
...बत्तीसी की भी सुविधा...
...इपलब्ध करायी जायेगी।
...डा. अंकित मेहरोत्रा ने बताया...
...कि सात अलग-अलग...
...एम.डी.एस. डाक्टर रोगियों की...
...जान-पड़ताल करेंगे। डेंटल...
...इम्प्लांट की भी सुविधा इस...
...क्लीनिक में रोगियों को...
...मिलेगी। टेढ़े-मेढ़े दांतों को तार...
...के माध्यम से कसकर सीधा...
...किया जायेगा। केंद्रीय गृह...
...रौज्यमंत्री श्री जायसवाल ने साढ़े...
...बारह बजे फीता काटकर एवं...
...हरोत्रा। नारियल फोड़कर क्लीनिक का...
...उद्घाटन किया। इस मौके पर...
...गोत्रा, अर्चना मेहरोत्रा, डा. राकेश चन्द्रा,
...न. द्विवेदी, डा. सी.एम. सिंघल, डा.
...हनी आदि थे।

जल जनित एवं मच्छरों से जनित रोगों से बचाव जनपद कानपुर देहात की जनता से अपील

- शौचालय का प्रयोग करें और खुली जगह पर शौच न जाएं।
- प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराएं।
- शौच के बाद हाथ साबुन या राख से अच्छी तरह धोएं तथा शरीर की सफाई रोज करें।
- घर के आस-पास पानी इकट्ठा न होने दें। पानी की टंकी, कूलर, के पानी को प्रति सप्ताह बदल दें। डिब्बे, टायर, खाली बर्तन बरसात का पानी इकट्ठा न होने दें। छत-छप्पर पर कूड़ा करकट, लकड़ी इत्यादि न रखें।
- इकट्ठे हुए पानी में यदि निकलना संभव न हो तो कुछ बूंदें मिट्टी का तेल अथवा जला हुआ डीजल डाल दें।
- ग्रामों में नीम की पत्ती जलाये, कपड़े सुलागायें तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।
- सोते समय नीम का तेल, सरसों के तेल को शरीर पर मालिश कर लें। मच्छर, रिपलेन्ट, मार्टिन क्वायल आल आउट, गुड नाइट, केस्पर इत्यादि का प्रयोग करें।
- यथासमय पीने हेतु नल/हेण्डपम्प का पानी अथवा क्लोरीनटेड पानी का प्रयोग करें।
- खाने-पीने की सामग्री को जालीदार ढक्कन से ढककर रखें।
- ताजा भोजन करें, पाने हेतु उबले पानी का प्रयोग करें।
- 20 लीटर पानी में एक गोली क्लोरीन (पिसी हुई) डालकर जल को विसंक्रमित कर पियें।
- कटे, सड़े-गले फल व सब्जी का प्रयोग न करें, फल एवं सब्जी अच्छे तरीके से धुलकर ही प्रयोग करें।
- शरीर पर पूरे कपड़े पहने एवं शरीर को ढककर रखें।

(विपिन कुमार) (राजेन्द्र कुमार) (रमाशंकर साहू)
जिला पंचायत राज अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात

कानपुर नगर निगम सामान्य कर निर्धारण-2008

सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची पर आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु

आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सोयानगंठ स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, कानपुर द्वारा पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में कराया गया था। नगर निगम अधिनियम में वर्ष 2000 में हुए संशोधन के परचात आवासीय भवनों हेतु 2000 सम्मिलित कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) सम्मिलित कर के भुगतान के लिए मुख्य रूप से, भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणी, कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सलकर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय में भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है।

सामान्य कर निर्धारण वर्ष-2008 को कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमा अन्तर्गत स्थित समस्त भवन व भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई 2008 तक का निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/भूखण्डों के स्वामियों/अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (भरल कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/भवनों के भाग के सम्बन्ध में, कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि निर्धारित की गयी थी। 31 जुलाई 2008 तक भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुये निम्न 12 बाडों के लिए प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के लिये सभी सम्बन्धित के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जोन | वार्ड संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने एवं आपत्तियों प्राप्त करने का स्थान |
|-----|--|--|
| 1 | 101 महेश्वरी मोहाल | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं 01 कार्यालय |
| 2 | 67 अशोढ़ नगर पूर्व | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं 02 कार्यालय |
| 3 | 13 खलासी लाईन, 15 परमट, 65 गांधी नगर | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं 04 कार्यालय |
| 4 | 64 स्वराज नगर पनकी | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं 05 कार्यालय |
| 5 | 08 मसवानपुर, 16 खोीर, 18 कल्याणपुर, 20 चधामऊ, 82 हरिहरनाथ शास्त्री नगर, 87 काकादेव | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं 06 कार्यालय |

यदि किसी भवन, स्वामी/अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणोपरान्त भवनस्वामी/अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आच्छादित क्षेत्रफल/कारपेट एरिया, भवन की अवस्थिति, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष, आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जोन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किये गये मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उदय नारायण तिवारी पी० के० पाण्डेय
अपर नगर आयुक्त नगर आयुक्त

| | |
|--|--|
| सामान्य कर/ग्रहकर का बकाया जमा कर 12% ब्याज से बचे | 2008-09 का कर जमा कले 100% छूट प्राप्त करें। |
| सामान्य कर (ग्रहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वार्ड के विकास हेतु दायित्व का निर्वहन करें। | |

कानपुर नगर निगम

सामान्य कर निर्धारण- 2008
सामान्य कर निर्धारण हेतु तैयार की गयी प्रस्तावित कर निर्धारण सूची पर
आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु

आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कानपुर द्वारा पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में कराया गया था। नगर निगम अधिनियम में वर्ष 2000 में हुये संशोधन के पश्चात आवासीय भवनों हेतु उ. प्र. सम्पत्ति कर नियमावली (यथा संशोधित) प्रचलित है। इस नियमावली में स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी, भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण हेतु प्रपत्र 'ख' में यथारिथित आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणी कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सरलकर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय के भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है।

सामान्य कर निर्धारण वर्ष- 2008 की कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई 2008 से 31 जुलाई 2008 तक कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/भूखण्डों के स्वामियों/अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (सरल कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/भवनों के भाग के सम्बन्ध में कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखि निर्धारित की गयी थी। 31 जुलाई 2008 तक भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा भरे गये प्रपत्र को सम्मिलित करते हुए पांचवें चरण के निम्न 09 वार्डों के लिए प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार करायी गयी है जो इस सूचना के प्रकाशन, लिखि से एक माह के लिए सभी संबंधित के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध रहेगी।

| जोन | वार्ड संख्या | प्रस्तावित कर निर्धारण सूची का निरीक्षण करने एवं आपत्तियां प्राप्त करने का स्थान |
|-----|--|--|
| 2 | 53 देहली सुजानपुर के डी.ए. कालोनी | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 2 कार्यालय |
| 4 | 107 तलाक महल | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 4 कार्यालय |
| 5 | 17 सरायमीना, 60 बरां दक्षिणी, 62 बरां गांव, 74 रविदास पुरम | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 5 कार्यालय |
| 6 | 42 आवास विकास कल्यानपुर, 46 विनायकपुर, 68 रावतपुर गांव | कानपुर नगर निगम मोतीझील स्थित जोन नं. 6 कार्यालय |

यदि किसी भवन स्वामी/अध्यासी को उपरोक्त कर निर्धारण सूची के निरीक्षणोपरान्त भवनस्वामी/अध्यासी के नाम, भूखण्ड के क्षेत्रफल, भवन के आच्छादित क्षेत्रफल/ कारपेट एरिया, भवन की अवस्थिति, भवन के उपयोग, निर्माण वर्ष आदि प्रविष्टियों तथा प्रस्तावित वार्षिक मूल्य, देयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से सम्बन्धित जोन के सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। आवासीय भवनों के कर निर्धारण के लिये निर्धारित किराये के मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त
अपर नगर आयुक्त

सामान्य कर (गृहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वार्ड के विकास हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करें।

अन-136/1859

